संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छ.ग.
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं. सी, द्वितीय तल, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28/08/2018

//आदेश//

क्रमांक/न–1–29/स्था./अवि./2016 : छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ 1–4/05/16, दिनांक 17.10.07 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, पत्र क्रमांक एफ 1–22/2016/16 दिनांक 18.04.2017 द्वारा दी गई सहमति, व्यापम छत्तीसगढ द्वारा जारी मेरिट सूची, चयन समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के पत्र क्रमांक 2292/1830/2018/16 दिनांक 28.08.2018 द्वारा जारी की गई पदस्थापना की अनुमति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से **स्टाफ नर्स** के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान रू 5200–20200 + ग्रेड पे रू 2800 तथा ग्राह्य भत्तों (सातवें वेतनमान में लेवल–7) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त नियुक्ति शासकीय सेवा हेतु छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित समस्त अधिनियम, नियम तथा समय–समय पर जारी आदेश एवं नियमों के अधीन होगी तथा उक्त अधिनियम, नियम तथा आदेश के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न शर्ते भी लागू होंगी :–

1. आवेदक को आदेश प्राप्ति की दिनांक से 15 दिनों की सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह मानकर कि वह इस पद पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा इसके लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. आवेदक की सेवायें की आवश्यकता न होने पर बगैर किसी कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती हैं। वैसे ही यदि आवेदक सेवा त्यागना चाहे तो उसे एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन तथा भत्ते शासकीय कोषालय में जमा करना होगें।
3. दस दिन से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उसकी सेवायें अनुपस्थिति के दिनांक से समाप्त मानी जायेगी तथा शर्त क्रमांक 2 के अनुसार आवेदक को एक माह का वेतन तथा भत्ते देना होगें।
4. यह नियुक्ति व्यापम द्वारा ली गई चयन परीक्षा के पश्चात, चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार अनारक्षित वर्ग/आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत की गई है।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये यह नियुक्ति प्रावधिक है तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है। आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन करने पर यदि आरक्षित वर्ग का दावा झूठा सिद्ध होता है, तो बिना कोई कारण बताये एवं झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्रवाई जो की जा सकती है, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

......2

6. आवेदक को अपना कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शासकीय चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
7. झूठे प्रमाण पत्र/अंक सूची के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कंडिका 5 के समान कार्रवाई करते हुये संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
8. यदि पुलिस द्वारा अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा लिये अनुपयुक्त अथवा ऐसी कोई विपरीत टिप्पणी अंकित की जाती है तो अभ्यर्थी की सेवायें इस आधार पर समाप्त की जा सकती हैं।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।
10 कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को क्रमांक 11 में उल्लेखित विवरण के अनुसार शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापन करवाकर प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु अपात्र नहीं है।
11 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के अनुसार वह उम्मीद्वार अपात्र होगा यदि :–
   (अ)पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो। इस प्रकांर महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
   (ब) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो।
   (स) जो किसी अपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध पाया गया हो।
12. नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के लिये नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।
14. नवनियुंक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चयन समिति द्वारा जारी प्रवीण्य सूची के क्रम में रहेगी।
15. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार ये नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
16 प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।

क्र.	नाम एव पिता/पति का नाम	जाति/वर्ग	चयनित वर्ग	जन्मतिथि	पदस्थापना स्थान
1	प्रियंका साहू पुत्री श्री विनोद कुमार साहू	सामा.	अना	28.08.1995	क.रा.बीमा सेवायें, नंदिनी रोड केन्द्र(खुर्सीपार)
2	नेहा साहू पुत्री श्री बी.आर.साहू	अपिव	अना	20.10.1995	क.रा.बीमा सेवायें,नंदिनी रोड केन्द्र(खुर्सीपार)
3	सरोज पुत्री श्री गीता लाल	अजजा	अना	03.07.1992	क.रा.बीमा सेवायें,बालकोनगर केन्द्र
4	प्रियंका परीदा पुत्री श्री कालू परीदा	सामा.	अना	28.09.1995	क.रा.बीमा सेवायें,बालकोनगर केन्द्र
5	नंदिनी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार	अपिव	अना	15.02.1994	क.रा.बीमा सेवायें,रायगढ़ केन्द्र

क्र.	नाम	जाति/वर्ग	चयनित वर्ग	जन्मतिथि	पदस्थापना स्थान
6	सृष्टि सेन पुत्री श्रीमती उमा सेन	अपिव	अना	16.06.1992	क.रा.बीमा सेवायें,बलौदाबाजार केन्द्र
7	श्रीनाथ पुरी गोसाइं पुत्र श्रीमती. सेवती बाई गोसाइं	अपिव	अना	01.01.1992	क.रा.बीमा सेवायें,तमनार केन्द्र
8	सुमन साव पत्नि श्री देवेन्द्र साहू	अपिव	अपिव	05.11.1992	क.रा.बीमा सेवायें,भिलाई–3 केन्द्र
9	संतोषी साहू पुत्री श्री श्याम लाल साहू	अपिव	अपिव	31.07.1992	क.रा.बीमा सेवायें,बालकोनगर केन्द्र
10	श्रद्धा साहू पुत्री श्री ईश्वर लाल साहू	अपिव	अपिव	02.10.1992	क.रा.बीमा सेवायें,हथखोज केन्द्र
11	पोलस्य कुमार बंजारे पुत्र श्री मोती लाल बंजारे	अजा	अजा	17.10.1991	क.रा.बीमा सेवायें,हिरमी केन्द्र
12	अंजू भोंडेकर पुत्री श्री महेन्द्र	अजा	अजा	10.04.1993	क.रा.बीमा सेवायें,बैकुंठ केन्द्र
13	रीना तिर्की पुत्री श्री रूबेन तिर्की	अजजा	अजजा	09.06.1993	क.रा.बीमा सेवायें,दीपका केन्द्र
14	हेमलता पुत्री श्री सुखेन	अजा	अजा	13.07.1993	क.रा.बीमा सेवायें,सिलतरा केन्द्र
15	खशबूलता कुंवर पुत्री श्री झगन लाल कुंवर	अजजा	अजजा	02.11.1992	क.रा.बीमा सेवायें,हिरमी केन्द्र
16	खिलेश्वरी ध्रुव पुत्री श्री पुराणिक ध्रुव	अजजा	अजजा	13.07.1993	क.रा.बीमा सेवायें,नवापारा राजिम केन्द्र
17	रोशन प्रिया भगत पुत्री श्री महेश राम भगत	अजजा	अजजा	10.10.1994	क.रा.बीमा सेवायें,भूपदेवपुर केन्द्र
18	अंजीता पैकरा पुत्री श्री गोपाल साय	अजजा	अजजा	10.07.1994	क.रा.बीमा सेवायें,सारंगढ़–चंद्रपुर केन्द्र
19	संगीता एक्का पुत्री श्री राजलाल	अजजा	अजजा	20.10.1991	क.रा.बीमा सेवायें,बलौदाबाजार केन्द्र
20	रेणुका चंद्रवंशी पुत्री श्री राधेश्याम चंद्रवंशी	अजजा	अजजा	04.08.1992	क.रा.बीमा सेवायें,रसमड़ा केन्द्र
21	यामिनी पुत्री श्री खेमलाल	अजजा	अजजा	26.06.1994	क.रा.बीमा सेवायें,टेडेसरा केन्द्र
22	अरूणा कुजूर पुत्री श्री मैटियस कुजूर	अजजा	अजजा	26.12.1991	क.रा.बीमा सेवायें,बालकोनगर केन्द्र
23	जानकी पुत्री श्री टकेश्वर	अजजा	अजजा	18.11.1993	क.रा.बीमा सेवायें,सारंगढ़–चंद्रपुर केन्द्र
24	परमेश्वरी गड़रिया पुत्री श्री मेघनाथ गड़रिया	अपिव	अपिव (दिव्यांग)	01.07.1989	क.रा.बीमा सेवायें,दीपका केन्द्र

(डॉ. व्ही. भसीन)
संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
रायपुर

पृ. क्रमांक / न–1–29 / स्था. / अवि. / 2016 / 959 रायपुर दिनांक 28 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, प्रभारी .... केन्द्र। आवेदक के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का अवलोकन करें तथा उनकी दो प्रतियॉं प्राप्त कर एक प्रति सत्यापित करते हुये कार्यभार प्रतिवेदन के साथ संचालनालय को भेजें।
4. संबंधित आवेदक की ओर पालनार्थ।
5. व्यक्तिगत अभिलेख हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, ... ।

28/8/18

संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
रायपुर